

प्रक,

आशीष निवासी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/

नाडन आधिकारी

3050, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अर्जमा-2

विषय-

400 के0वी0डी0सी0 (क्वाड) वाराणसी-सारनाथ पारिषद गार्डन क निर्माण हेतु जनपद वाराणसी में प्रभावित 0.092 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के वीर वानिकी प्रयोग एवं जनपद जौनपुर में प्रभावित 0.2994 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के वीर वानिकी प्रयोग अर्थात कुल 0.3864 हे0 संरक्षित क बिना वृक्ष पातन के वीर वानिकी प्रयोग की अर्जमति विषयक निर्वात सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 28-8-2018 के आधार पर विहित की अर्जमति विषयक निर्वात सैद्धांतिक स्वीकृति के अधीन निर्वात किया जाता है-

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1056/11सी/एफपी/यूपी/दिस/

28902/2017, दिनांक 24-11-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2-

इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के एफ0एन0 संख्या-11-9/98/एफसी, दिनांक 21-8-2014 एवं पत्र दिनांक 13-2-2014 के दृष्टिकोण 400 के0वी0डी0सी0 (क्वाड) वाराणसी-सारनाथ पारिषद गार्डन क निर्माण हेतु जनपद वाराणसी में प्रभावित 0.092 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के वीर वानिकी प्रयोग एवं जनपद जौनपुर में प्रभावित 0.2994 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के वीर वानिकी प्रयोग अर्थात कुल 0.3864 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के वीर वानिकी प्रयोग की अर्जमति विषयक निर्वात सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 28-8-2018 के आधार पर विहित की अर्जमति विषयक निर्वात सैद्धांतिक स्वीकृति के अधीन निर्वात किया जाता है-

(1) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उद्यतम न्यायालय के रिट प्रिरीन (सिविल)

202/1995 के अन्तर्गत आर्डे0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार श्रुद्ध वतमान मंत्र्य एन0पी0वी0, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं अन्य अर्जमन्थ दैयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण लिष्ट प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority), में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(2) प्रस्तावक के ल्यय पर वन विभाग द्वारा दर्जले अवगत पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।

- (11) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में परन्तु अविष्ट के अन्दर जब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यक्ता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यक्ता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, 3090 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
- (10) प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकाारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचाये और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रशासकीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।
- (9) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकाारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (8) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फलों (वन्स्पति)/ फलों (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फलों/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
- (7) नोडल अधिकाारी, 3090 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
- (6) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (5) प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रशासकीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराने के लिए वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अधिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।
- (4) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार श्रद्धेय वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी नदियों प्रतिपूर्ति प्राधिकरण लिखित प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाल के आलाइन ईपीएल के ई-चालान द्वारा, कापॉरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।
- (3) प्रस्तावक के व्यय पर पारोषण लाइन के नीचे छोटे आकार के औषधीय/ शोभाकार पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।

- (12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- 1-11013/41/2006-1A-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अर्जसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्ट्रिड कम्पैटि ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
- (13) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वर्नों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (14) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुभव के अधीन होंगी।
- (15) पर्याक्ता अधिकरण के द्वारा यह अपडेटेडिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बड़ी हुई धनराशि पर्याक्ता अधिकरण को जमा करना होगा।
- (16) यदि प्रस्तावत भूमि सेन्चुरी/नैशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उद्यतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
- (17) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (19) इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 13-02-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- (20) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये निर्देश-निर्देशों के अर्जसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-सदृशित डिजाइटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।
- (21) पर्याक्ता अधिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित

अर्ज सचिव
(मन्त्रालय कर्मचारी सेवा विभाग)
Ministry

आशा से,

- 6 गार्ड फाउंडल।
- 5- डीआइजी कालोनी मकबूल आलम रोड वाराणसी।
- 4- उप महोपबन्धक (पावर बिड कर्पा आक डिविज्या लि0 एस-8/108, सी-6 प्रशांतपुरी
- 3- जिलाधिकारी, वाराणसी एवं जौनपुर।
- 2- वन संरक्षक वाराणसी।
- 2- अतीवाज, लखनऊ।
- 1- (मध्य)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

संख्या-3694(1)/14-2-2018-तदद्विनांक

विशेष सचिव
(आर्थिक विभाग)

भवदीय,

(23) प्रस्तावक विभाग को कार्य आरम्भ करने के पूर्व भू-स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(22) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या- 7- 25/2012- एक सी, दिनांक 05 मई, 2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देश का अर्जपत्र प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जाएगा।

जिनके जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करवा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लिखित नहीं है एवं आदिम जनजाति/पारिभ्रमक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।